





**Office**

**Secretary, Council of Technical Education,  
Uttar Pradesh, Lucknow.**

No: Praship/Council Affiliation/2021/3537

Lucknow: Dated: 06/05/2021

-Office memo-

All India Council of Technical Education, New Delhi / Primary Council of India, New Delhi for the academic session 2021-22 after the approval of right to life, health, educational institutions, the grant of affiliation / affiliation adherence to Technical Education Council, Uttar Pradesh (letter No. 16/19/2021), the meeting of the affiliation committee was completed in the council office. In the meeting, the committee decided to give affiliation / affiliation extension for the session 2021-22, considering other items including affiliation to the new institutions applied for for the session 2021-22 / affiliation extension to the already operating institutions / course / admission capacity increase, West.

In continuation of the decision taken in the meeting of the affiliation committee, the following institution is given affiliation extension for the course and admission capacity mentioned in it for the session 2021-22 by Technical Education Council, Uttar Pradesh, Lucknow under the following conditions:

**Organization Code & Name : 8348-ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY VILLAGE-SHEKHUPUR, POST-BAGHPUR, KANPUR DEHAT-209807**

Sl No	name of course	Admission Capacity approved by AICTE / PCI for the session 2021-22	Admission capacity approved by the council for the session 2021-22
1	CIVIL ENGINEERING	50	50
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	50	50
3	ELECTRICAL ENGINEERING	50	50

**Conditions for Affiliation**

- ✓ The institution will fully comply with all the conditions laid down by AICTE / PCI
- ✓ समूह को संलग्न संस्थानों के लिए प्रस्तावित संस्थाओं (AICTE) को मिलाए गए, अक्षय विभागाध्यक्षों और वार (AICTE) द्वारा दिए

**अनुसूची**

अद्वैतों का अनुदान करनी एक युक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित युक्त तीन वर्षीय द्वैत पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 20000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय त्रि-वैत पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के त्रि-वैत पाठ्यक्रमों/दो वर्षीय त्रि-वैत पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष युक्त ही प्रत्येक छात्रवृत्त में प्राप्त किया जाएगा। उद्योग के अतिरिक्त छात्रवृत्तों में हेतु युक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित पर चलाने द्वारा निर्धारित किये जाने वाले छात्रवृत्त प्रथम ही, और उद्भव करवाही किया जाने आवश्यक होगा। प्रत्येक निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्येक का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रत्येक की नवीकरण करें हुए होगी।

- ✓ संस्था को 10000 प्रतिवर्षिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को समर्थन किताब (अन्य विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करनी को ही प्रयोग किया जाएगा। शीटों के तैयार रह जाने की स्थिति में उक्त प्रयोग चलाने के निर्देशानुसार ही प्रयोग की करवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को छात्र-वृत्त या निर्धारित छात्रवृत्त के अनुसार निर्धारण एवं सम्बन्धित युक्त प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को 50 आईसीटी/ईआईटी/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी से आगामी राह हेतु अनुसंधान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उक्त प्रयोग चलाने द्वारा करनी नये विभिन्न-विशेष-अतिरिक्त-छात्रवृत्त-संबन्धी-निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा करनी नये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा त्रि-वैत पाठ्यक्रम की संख्या यदि दो ही आई. आई. आई. आई. विद्या में अनुसंधान प्राप्त करने में सफल रहती है तो इस संबंध में छात्र उद्भव/प्रतिष्ठान संस्था का ही एक और विधिक रूप से किसी भी करवाही के लिए संस्था द्वारा उद्भव/प्रतिष्ठान प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उक्त प्रयोग चलाने को कोई बंधन नहीं होगा किताब है तथा उक्त बंधन के संबंध में या, आवश्यक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करनी आदेश निर्धार किया जाता है तो छात्र प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा त्रि-वैत पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रयोग परीक्षा परिषद, उक्त प्रयोग चलाने द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रयोग परीक्षा हेतु आयोजित प्रयोग होने के पूर्व ईआईटी/आईआईटी में अनुसंधान प्राप्त कर परीक्षा करवाहय को उपलब्ध करवाहय होगा। अथवा उक्त प्रयोग की (आयोजित) के सम्बन्ध में अथवा संस्था द्वारा या प्रयोग प्रयोग अनुसंधान नहीं प्राप्त की जाएगी।
- ✓ उक्त प्रयोग चलाने द्वारा प्रयोग हेतु निर्धारित नवीकरण आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट या संस्था की वेबसाइट युक्त परी संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, भाषा, छात्र-वृत्त, उद्भव/प्रतिष्ठान, प्राप्त किया जाने वाला युक्त, साक्षात्कार युक्त आदि का विवरण उपलब्ध करवाहय होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु उद्भव/प्रतिष्ठान उपलब्ध कराने के साथ उद्भव/प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में छात्र आवश्यक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रचारित-संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्धारण समिति के समर्थन उपलब्ध कराने नये विनियम, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण-सुविधि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उद्भव/प्रतिष्ठान का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो छात्र संस्था की सम्बन्धित करवाहय किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के त्रि-वैत निर्धारण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य छात्र-वृत्त 50 आईसीटी/ईआईटी/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी के मानक-मूल्य उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्बन्धित करवाहय कर ले जाएगी।
- ✓ In case of non-compliance of the affiliation conditions or violation of the conditions, disciplinary action will be taken as per rules.

A/10/2021

(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary

**P.No-Praship/Council Affiliation/2021/3538-4809**

Date: 09/08/2021

copy:-

Principal/Director, **ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY VILLAGE-SHEKHUPUR,POST-BAGHPUR,KANPUR DEHAT-209307**



(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary



विद्या, 20220, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 20220 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 20220 द्वारा बनाये गये नियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०टी०टी०टी०टी०टी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संबंध का द्वैत और द्विचक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तब वाद वाद के संबंध में म०. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए०आई०टी०टी०टी०टी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) प्रवेशी प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु कक्षा-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, मान्य-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुल्क, छात्रवृत्ति सुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगुलर रोकने के माध्यम में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मीवर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तबनात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अथवा स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सामग्री ए०आई०टी०टी०टी०टी०आई० के महत्त्वानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचक/समाप्त कार्यवाही की जाएगी।

(ए०आई०टी०टी०टी०टी०आई० द्वारा)

सचिव

फ़ोन- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्राथमिक-  
ए०आई०टी०टी०टी०टी०आई०, ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY

(ए०आई०टी०टी०टी०आई० द्वारा)

सचिव